विभाग द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई कि विभाग और/या विभाग की स्पष्ट अनुमति के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में नामांकित संबंधित उम्मीदवारों ने उक्त मोड के माध्यम से प्रदान की गई डिग्री को मान्यता नहीं दी या कि संबंधित उम्मीदवारों को ऐसे पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन अवकाश नहीं दिया गया था-यदि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त डिग्री में गंभीर कमजोरी थी, तो मामले को या तो प्रतिनिधित्व के माध्यम से या उस ओर से ठीक से स्थापित चुनौती के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए-कुछ स्थिति/लाभों को प्रदान करने का दावा किया गया अभ्यावेदन जो वे पहले प्राप्त नहीं कर रहे थे-ऐसी पात्रता को अवमानना याचिका के अलावा अन्य कार्यवाही में स्थापित करने की आवश्यकता है-

यदि पदोन्नति नहीं दी गई थी और उस दिन जब निर्णय पारित किया गया था, उस दिन की ओर से कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।

ग

डी.

अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अवधारित **1.1** न्यायालय के समक्ष दो प्रकार के छात्र थे **(i)** वे जो शैक्षणिक सत्र **2001-2005** के दौरान नामांकित थे और **(ii)** वे जो शैक्षणिक सत्रों के बाद नामांकित थे।पैरा **23.6** में यह उल्लेख किया गया कि यू**.** जी**.** सी**.** ने **"2004** यू**.** जी**.** सी**.** दिशा**-**निर्देश**"** जारी किए थे**,** जिसके संदर्भ में मानित विश्वविद्यालयों के संबंध में पूर्व**-**कार्योत्तर अनुमोदन की अवधारणा शुरू की गई थी**,** जिन्होंने संबंधित अधिकारियों से किसी भी अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम शुरू किए थे।इन **"2004** यू**.** जी**.** सी**.** दिशानिर्देशों**"** के अनुसार कुछ मानित विश्वविद्यालयों ने पूर्व**-**कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आवेदन किया और उन्हें ऐसी मंजूरी दी गई**,** जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्र एक अलग आधार पर खड़े हुए**,** जबकि शैक्षणिक सत्रों के बाद नामांकित छात्र एक अलग आधार पर खड़े हुए।हालांकि निर्णय ने संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई पूरी कवायद को मंजूरी नहीं दी**,** जिसमें पूर्व**-**कार्योत्तर अनुमोदन का अनुदान भी शामिल था**,** लेकिन शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों को रियायत दी गई थी।हालांकि ए

ई.

च

जी.

एच.

583

अशोक कुमार बनाम डिपिंडर सिंह ढेसी

दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्री प्रथम दृष्टया कानून के अनुसार नहीं थी**,** शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए दो अवसर दिए गए थे और यह निर्देश दिया गया था कि यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं**,** तो वे ऐसी डिग्री से प्रवाहित लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।यदि कोई उम्मीदवार या तो दो प्रयासों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है या यदि वह परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है**,** तो डिग्री पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार को ऐसी डिग्री से होने वाले सभी लाभों और लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।**[**पारस **7,8] [589-**डी**-**जी**; 590-**एच**; 591-**ए**]**

1.2 वे उम्मीदवार जो दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी डिग्री के बल पर**,** अपने करियर में एक विशेष स्तर प्राप्त कर चुके थे या निर्णय की तारीख को कुछ लाभों का आनंद ले रहे थे और यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं**,** तो वे लाभ बहाल हो जाएंगे।यदि उम्मीदवार पहले प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं**,** तो उन लाभों या सुविधाओं के निरंतर आनंद में कोई विराम भी नहीं होगा।विचार यह था कि उम्मीदवारों को उस स्थिति से वंचित नहीं रहना चाहिए जिसका वे निर्णय के दिन आनंद ले रहे थे बशर्ते उम्मीदवार अपनी योग्यता और क्षमता साबित कर सकें।लेकिन यदि संबंधित उम्मीदवारों ने निर्णय पारित होने की तारीख को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया था**,** तो निर्देशों का विस्तार कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए नहीं था जो उस तारीख को भी प्राप्त नहीं हुआ था।यदि निर्णय और आदेश के निर्देशों के संदर्भ में डिग्री बहाल की जाती है**,** तो उम्मीदवार निश्चित रूप से ऐसे अधिकारों के लिए पात्र होंगे जो कानून के अनुसार उपलब्ध हैं**,** लेकिन **"**बहाली**"** केवल उन लाभों में से होगी**,** जो वे निर्णय की तारीख तक प्राप्त कर रहे थे।संक्षेप में**,** इरादा पूर्व स्थिति को बहाल करना था और निर्णय और आदेश द्वारा कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान करना नहीं था।वर्तमान मामले में विभाग की ओर से गंभीर आपत्ति जताई गई है कि संबंधित उम्मीदवारों ने विभाग की स्पष्ट अनुमति के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री

प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कराया था और/या विभाग ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की गई इंजीनियरिंग में डिग्री को मान्यता नहीं दी थी या कि संबंधित उम्मीदवारों को कोई ए डिग्री प्रदान नहीं की गई थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

584 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

इस तरह के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन अवकाश।यदि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों और मापदंडों का उल्लंघन करते हुए डिग्री प्राप्त की गई थी**,** तो मामला पूरी तरह से अलग रंग धारण करता है।यदि उम्मीदवारों द्वारा इस प्रकार प्राप्त डिग्री में गंभीर दुर्बलता थी**,** तो मामले को या तो प्रतिनिधित्व के माध्यम से या उस संबंध में उचित रूप से स्थापित चुनौती के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।यदि पदोन्नति नहीं दी गई थी और जिस दिन निर्णय पारित किया गया था**,** उस दिन का आनंद नहीं लिया जा रहा था**,** तो इस न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन ने कुछ स्थिति और लाभों को प्रदान करने का दावा किया जो उन्हें पहले नहीं मिल रहे थे।यदि उस मोर्चे पर कोई शिकायत है**,** तो अवमानना याचिका के अलावा अन्य कार्यवाहियों में पात्रता स्थापित करने की आवश्यकता है।कथित समकालीनों की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।अवमानना याचिकाएं खारिज की जाती हैं। प्रत्येक याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग में लागत के रूप में **Rs.5000** जमा करेगा**,** जिसमें विफल रहने पर विभाग कानून के अनुसार उसी की वसूली करेगा।**[**पैरा **10,11,13** और **14] [592-**जी-एच**; 593-**ए**; 594-**सी**]**

ग

डी.

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी

शंकर पात्रो और अन्य (2018) 1 एससीसी 468:[2017]

13 एस**.** सी**.** आर**. 921;** उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य **(2018) 2** एस**.** सी**.** सी**. 298:**

ई.

[2018] 1 एस**.** सी**.** आर**. 839-**संदर्भित।

जे**.** एस**.** परिहार बनाम गणपत दुग्गर और अन्य **(1996) 6**

एससीसी **291:[1996] 6** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 110-**निर्भर।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[2017] 13 एससीआर **921**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

[1996] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर **110** पर निर्भर

पैरा **12**

अंतर्निहित न्यायनिर्णय:2017 की सिविल अपील संख्या 17869-17870 में 2019 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 408-409।

जी.

2017 की सिविल अपील Nos.17869-17870 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 03.11.2017 निर्णय के खिलाफ दायर अवमानना याचिका।

एच.

585

अशोक कुमार बनाम डेपिंदर सिंह ढेसी ए

क.

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, ताहिर अशरफ सिद्दीकी, सुश्री मधुष्मिता बोरा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, शेखर राज शर्मा, सुश्री श्रुति गोयल, सुश्री आस्था मेहता, प्रभास बजाज, सुश्री मोनिका गुसैन, संजय कुमार विसेन, सुश्री श्रुति दाग, अधिवक्ता।कथित समकालीनों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. नौ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर ये अवमानना याचिकाएं अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत करती हैं कि कथित समकालीनों ने जानबूझकर और जानबूझकर 2017 की सिविल अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन किया है और अन्य संबंधित मामलों ("निर्णय", संक्षेप में) और उपरोक्त सिविल अपीलों ("आदेश", संक्षेप में) से उत्पन्न 2017 के विविध आवेदन में इस न्यायालय द्वारा पारित स्पष्टीकरण आदेश का उल्लंघन किया है।अवमानना याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत करने में इस न्यायालय द्वारा निर्णय में जारी किए गए निम्नलिखित निर्देशों का उल्लंघन किया गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“58. ए. आई. सी. टी. ई. को इस निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर सभी संबंधित विषयों को शामिल करते हुए शैक्षणिक सत्रों 2001-2005 के दौरान प्रवेश लेने वाले संबंधित छात्रों के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक दोनों में उपयुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए तौर-तरीके तैयार करने का निर्देश दिया गया है।यह पूरी तरह से ए. आई. सी. टी. ई. के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह ऐसे तौर-तरीकों के साथ आए जो उसे उचित लगे और इस संबंध में परीक्षण संबंधित राज्यों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे जहां भी छात्र स्थित हों।छात्रों को परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जा सकता है जो आदर्श रूप से मई-जून 2018 के दौरान या ऐसी तारीखों पर आयोजित की जानी चाहिए जो एआईसीटीई निर्धारित करे।संबंधित छात्रों को दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे और यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनकी डिग्री वापस ले ली जाएगी और रद्द कर दी जाएगी।यदि कोई विशेष छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होना चाहता है, तो ऐसे छात्र द्वारा

ट्यूशन और अन्य शुल्कों के लिए जमा किया गया पूरा पैसा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उस छात्र को परीक्षा के एक महीने के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

ई.

च

जी.

1 (2018) 1 एस. सी. सी. 468-उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य

2 (2018) 2 एस. सी. सी. 298-उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य

एच.

इस तरह के विकल्प का प्रयोग करें।छात्रों को इस तरह के विकल्प का उपयोग करने के लिए 15-1-2018 तक का समय दिया जाना चाहिए।परीक्षा देने की इच्छा रखने वाले छात्रों के संबंध में परीक्षा आयोजित करने का पूरा खर्च संबंधित मानित विश्वविद्यालयों से 31-3-2018 द्वारा वसूल किया जाएगा।यदि वे निर्धारित समय के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो सभी लाभ या लाभ संबंधित उम्मीदवारों को बहाल कर दिए जाएंगे।हम दोहराने की कीमत पर यह स्पष्ट करते हैं कि यदि संबंधित उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर परीक्षा (ओं) को पास नहीं करते हैं या परीक्षा (ओं) में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनते हैं, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री वापस ले ली जाएगी और रद्द कर दी जाएगी।यह बिना कहे चला जाता है कि इस तरह की डिग्री के आधार पर कैरियर में कोई पदोन्नति या उन्नति भी वापस ले ली जाएगी, हालांकि, उस ओर से कोई भी मौद्रिक लाभ या लाभ उनसे वसूल नहीं किया जाएगा।

ग

66.6.यदि छात्र निर्धारित समय के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो उन्हें सभी लाभ/लाभ बहाल किए जाएंगे और उनकी डिग्री पूरी तरह से बहाल हो जाएगी।"

डी.

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर जारी किए गए निर्देशों को आदेश में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ए] ऐसे सभी उम्मीदवार, जो मई-जून 2018 में ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं और जो निर्णय के संदर्भ में परीक्षा में उपस्थित होने के विकल्प का उपयोग करते हैं, वे इस तरह के परीक्षण के परिणाम की घोषणा के एक महीने बाद तक या 31.07.2018 तक, जो भी पहले हो, प्रश्नगत डिग्री और उससे होने वाले सभी लाभों को अपने पास रख सकते हैं।

ई.

बी] यह सुविधा एक बार के अपवाद के रूप में दी गई है ताकि जिनके पास क्षमता है और वे पहले प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें, उन्हें असुविधा न हो।यदि उम्मीदवार इस तरह के पहले प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं, तो वे सभी लाभों को बनाए रखने के हकदार होंगे।... ...”

च

2. अवमानना याचिकाकर्ताओं के अनुसारः- (i) उन्होंने 2001-2005 अवधि के दौरान दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कराया था।

जी.

एच.

587

अशोक कुमार बनाम दीपेंद्र सिंह ढेसी [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

क.

((ii) निर्णय के संदर्भ में, याचिकाकर्ता एआईसीटीई 3 द्वारा 03.06.2018 पर आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए और पहले प्रयास में अर्हता प्राप्त की।

(iii) याचिकाकर्ता वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा में कनिष्ठ अभियंता के रूप में तैनात हैं।(iv) परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन किया गया कि वे निर्णय और आदेश के संदर्भ में अपनी डिग्री से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों के हकदार हैं।

(v) इस प्रकार पसंद किए गए अभ्यावेदन संदर्भ में कमोबेश समान थे और नमूने के रूप में उनमें से एक प्रस्तुतिकरण थाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि मेरी उच्च योग्यता यानी B.Tech (सिविल) को जोड़ा जाए और कृपया मुझे पदोन्नति के लिए उचित लाभ दिया जाए।"

डी.

3. यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह अवमानना याचिका में प्रस्तुत किया गया हैः- “6. कि उपरोक्त अभ्यावेदन का आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई है।बल्कि याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ उम्मीदवारों के एसीआर बुलाए गए हैं और उनकी फाइलों को पदोन्नति के आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया गया है।यह उल्लेख करना उचित है कि उपर्युक्त कनिष्ठ उम्मीदवारों ने नियमित मोड के माध्यम से अपनी B.Tech डिग्री प्राप्त की थी और याचिकाकर्ताओं ने यहां ODL मोड के माध्यम से मानद विश्वविद्यालयों से अपनी B.Tech डिग्री प्राप्त की थी।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा जून 2018 की ए. आई. सी. टी. ई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनकी डिग्री मान्य हो गई है और इसलिए उन्हें उन जूनियर इंजीनियरों के बराबर माना जाना चाहिए जिन्होंने नियमित मोड के माध्यम से अपनी डिग्री प्राप्त की है।यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं की उपेक्षा की गई है और कनिष्ठ उम्मीदवारों के ए. सी. आर. बुलाए गए हैं, यह दर्शाता है कि समकालीनों/उत्तरदाताओं ने जानबूझकर और जानबूझकर इस माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है जो दिनांक 03.11.2017 और 22.01.2018 के फैसले में पारित किए गए हैं।"

ई.

च

जी.

3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

एच.

588

4. कथित समकालीनों/प्रत्यर्थियों की ओर से दायर हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे पर महाधिवक्ता की राय मांगी गई थीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(ii) क्या 2017 के एस. एल. पी. No.17869-17870 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जिसका शीर्षक उड़ीसा लिफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ओडिशा लिफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।इस मामले में रबी शंकर पात्रो और अन्य उन उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जिन्हें आज तक उच्च योग्यता के अधिग्रहण का कोई लाभ नहीं दिया गया है और उक्त निर्णय केवल उन अधिकारियों/अधिकारियों पर लागू होता है जिन्हें भर्ती/पदोन्नति आदि के मामले में ऐसी डिग्री का लाभ पहले ही दिया जा चुका है।” उप महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय निम्नलिखित प्रभाव वाली थीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“उपरोक्त निर्देश का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों (शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित) की डिग्री जारी करने की तारीख से ही बहाल करना है, ताकि ऐसी डिग्री के आधार पर उन्हें दिए गए लाभ वापस न लिए जाएं और आगे, वे ऐसी डिग्री की वैधता की कमी के कारण उन्हें दिए गए विभिन्न लाभों के लिए विचार के पात्र बन जाएं।हालाँकि, उक्त निर्देशों का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है, ताकि किसी उम्मीदवार/कर्मचारी को दिए गए किसी भी लाभ/लाभ को शामिल किया जा सके, जैसे कि सेवा में प्रारंभिक प्रवेश, पदोन्नति, वृद्धि आदि, क्योंकि उस विशेष समय पर ऐसी डिग्री की वैधता की कमी है।इसके अलावा, माननीय न्यायालय के निर्देशों की इस तरह की व्याख्या से विशेष रूप से चयन और पदोन्नति के मामलों में प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी।"

डी.

ई.

5. कथित समकालीन संख्या 3 की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है जिसमें No.3712-2CS-II-72/21209 दिनांकित 18.07.1972 पत्र पर भरोसा किया गया है, जिसके अनुसार एक कर्मचारी को उचित अनुमति के बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने/परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।पत्र में अन्य बातों के साथ कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“यह देखा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को शैक्षणिक निर्देशों में शामिल होने/परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है, वे तैयारी करने के लिए वर्ष के किसी न किसी बड़े हिस्से के लिए छुट्टी पर जाते हैं।चूंकि यह प्रवृत्ति अवांछनीय है और सरकारी काम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, इसलिए इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को दी गई अनुमति पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार हैः- ए.

जी.

एच.

(i) तदर्थ कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में शामिल होने या परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

((ii) केवल उन नियमित कर्मचारियों को ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है।गणना में कर्मचारी द्वारा सरकार के किसी अन्य कार्यालय/विभाग में दी गई 5 साल की अवधि की सेवा पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2. हालाँकि, वे नियमित कर्मचारी जिन्हें पहले से ही अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है, या जो सरकारी सेवा में शामिल होने के समय किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए पढ़ रहे थे, उन्हें बिना किसी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के उस पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

ग

6. हमने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे और कथित समकालीनों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह को सुना।

डी.

7. शुरुआत में, निर्देश जारी करने के उन कारणों को बताना और ध्यान में रखना आवश्यक है जिन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है जैसा कि निर्णय और आदेश से स्पष्ट है।न्यायालय के समक्ष दो प्रकार के छात्र थे (i) वे जो शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित थे 2001-2005 और (ii) वे जो शैक्षणिक सत्रों के बाद नामांकित थे 2001-2005।पैरा 23.6 में यह उल्लेख किया गया कि यू. जी. सी. 4 ने "2004 यू. जी. सी. दिशा-निर्देश" जारी किए थे, जिसके संदर्भ में मानित विश्वविद्यालयों के संबंध में पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की अवधारणा शुरू की गई थी, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों से किसी भी अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम शुरू किए थे।इन "2004 यू. जी. सी. दिशानिर्देशों" के अनुसार कुछ मानित विश्वविद्यालयों ने पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आवेदन किया और उन्हें ऐसी मंजूरी दी गई, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्र एक अलग आधार पर खड़े हुए, जबकि शैक्षणिक सत्रों के बाद नामांकित छात्र एक अलग आधार पर खड़े हुए।

ई.

च

हालांकि निर्णय ने संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई पूरी कवायद को मंजूरी नहीं दी, जिसमें पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदनों का अनुदान भी शामिल था, लेकिन शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों को एक रियायत दी गई थी और उस संबंध में मामले को पैराग्राफ 57 में नीचे दिया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एच.

590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 10 एस सी आर।

“57. कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की पूरी कवायद को गलत और अवैध पाए जाने के बाद, सामान्य परिस्थितियों में तार्किक पाठ्यक्रम न केवल इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदनों को अलग करना होता, बल्कि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों के संबंध में इसके अनुसरण में दी गई सभी डिग्री को वापस लेने के लिए परिणामी निर्देश भी पारित करना होता। हालाँकि, चूंकि 2004 के यू. जी. सी. दिशानिर्देशों ने स्वयं संबंधित मानित विश्वविद्यालयों को कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इस मामले पर कुछ सहानुभूति के साथ विचार करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।यद्यपि हम इस तथ्य को खारिज नहीं कर सकते हैं कि संबंधित मानित विश्वविद्यालयों ने खुलेआम उल्लंघन किया और उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जहां उनके पास कोई अनुभव नहीं था

और उन्होंने अवैध रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रमों का संचालन करना शुरू कर दिया, संबंधित छात्रों की अत्यधिक रुचि हमें उक्त पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन के अनुसरण में दी गई इंजीनियरिंग में सभी डिग्री को वापस लेने का सहारा नहीं लेने के लिए राजी करती है।हालांकि, तथ्य यह है कि संबंधित अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की कभी जांच नहीं की गई और न ही कोई निरीक्षण किया गया।इतने समय तक किसी भी निरीक्षण का आदेश देना संभव नहीं है।लेकिन संबंधित छात्रों की योग्यता के बारे में विश्वास और आश्वासन होना चाहिए।इसलिए हम संबंधित छात्रों को इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा उनकी क्षमता का परीक्षण करने का कुछ मौका देना उचित समझते हैं।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2005 के दौरान नामांकित छात्रों को दी गई इंजीनियरिंग की सभी डिग्री तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे एआईसीटीई-यूजीसी की संयुक्त देखरेख में इस तरह की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते।इसके अलावा, उस डिग्री के आधार पर हर एक लाभ भी निलंबित रहेगा।"

ग

डी.

ई.

च

8. इस निष्कर्ष के बावजूद कि (ए) इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई द्वारा जारी किए गए स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है और (बी) विचाराधीन विश्वविद्यालयों को एआईसीटीई 3 के तहत पूर्व अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम शुरू करने का अधिकार नहीं था, निर्णय के पैराग्राफ 57 और 58 में विस्तृत लाभ की सुविधा छात्रों को दी गई थी।हालांकि दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्री ए थी

जी.

एच.

591

अशोक कुमार बनाम दीपेंद्र सिंह ढेसी [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

प्रथम दृष्टया कानून के अनुसार नहीं, शैक्षणिक सत्रों के दौरान नामांकित छात्रों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए दो अवसर दिए गए थे और यह निर्देश दिया गया था कि यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो वे ऐसी डिग्री से लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि निर्णय की घोषणा से कम से कम 10 साल पहले दी गई ऐसी डिग्री के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं।इस अवधि के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने इस तरह की डिग्री के आधार पर करियर में प्रगति की होगी, जबकि कुछ ने संभवतः ऐसी डिग्री के बल पर स्नातकोत्तर योग्यता जैसे M.Tech और M. B. A. प्राप्त की होगी।इसी आलोक में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यद्यपि निर्णय की तारीख से ऐसी डिग्री से होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले सभी लाभ और लाभ निलंबित हो जाएंगे, लेकिन उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लाभ या लाभ पुनर्जीवित हो जाएंगे, जिसका उल्लेख उक्त पैराग्राफ 57 और 58 में किया गया है।यदि कोई उम्मीदवार या तो दो प्रयासों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है या यदि वह परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो डिग्री पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार को ऐसी डिग्री से होने वाले सभी लाभों और लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।

ग

डी.

9. कुछ उम्मीदवारों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि यदि निर्णय के संदर्भ में लाभ या लाभ वापस लिए जाने हैं और उम्मीदवारों के परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्हें फिर से स्वीकृत या बहाल किया जा सकता है, तो यह उम्मीदवारों के लिए कुछ पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।कुछ उम्मीदवार जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी और ऐसी डिग्री के बल पर कार्यरत थे, उन्हें ऐसे लाभों को त्यागने की आवश्यकता होगी; और भले ही उन्हें पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो, फिर भी असुविधा और पूर्वाग्रह की स्थितियों के लिए लाभों की बहाली की आवश्यकता हो सकती है।इसलिए निर्णय के निर्देशों को आदेश में कुछ हद तक संशोधित किया गया था।इसलिए, आदेश में आगे की रियायत के माध्यम से यह निर्धारित किया गया था कि आगामी परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक सभी उम्मीदवार परीक्षण के परिणाम की घोषणा के एक महीने बाद तक या 31.07.2018 तक जो भी बाद में हो, सभी लाभ और लाभ अपने पास रख सकते हैं।इस प्रकार लाभों को बनाए रखने का लाभ केवल पहले प्रयास तक बढ़ाया गया था।जो लोग पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके या मई/जून, 2018 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, वे आदेश द्वारा दी गई रियायतों के हकदार नहीं थे।

ई.

च

जी.

एच.

10. इसलिए, यह स्पष्ट था कि जिन उम्मीदवारों ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री के बल पर, अपने करियर में एक विशेष स्तर प्राप्त किया था या निर्णय की तारीख को कुछ लाभों का आनंद ले रहे थे और यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो वे लाभ बहाल हो जाएंगे।यदि उम्मीदवार पहले प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, तो उन लाभों या सुविधाओं के निरंतर आनंद में कोई विराम भी नहीं होगा।विचार यह था कि उम्मीदवारों को उस स्थिति से वंचित नहीं रहना चाहिए जिसका वे निर्णय के दिन आनंद ले रहे थे बशर्ते उम्मीदवार अपनी योग्यता और क्षमता साबित कर सकें।लेकिन यदि संबंधित उम्मीदवारों ने निर्णय पारित होने की तारीख को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया था, तो निर्देशों का विस्तार कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए नहीं था जो उस तारीख को भी प्राप्त नहीं हुआ था।यह विचार नहीं था कि उम्मीदवार कुछ अतिरिक्त लाभों के हकदार हों, जो वास्तव में, उम्मीदवारों को निर्णय की तारीख पर भी नहीं मिल रहे थे।यदि निर्णय और आदेश के निर्देशों के संदर्भ में डिग्री बहाल की जाती है, तो उम्मीदवार निश्चित रूप से ऐसे अधिकारों के लिए पात्र होंगे जो कानून के अनुसार उपलब्ध हैं, लेकिन "बहाली" केवल उन लाभों में से होगी, जो वे निर्णय की तारीख तक प्राप्त कर रहे थे।संक्षेप में, इरादा पूर्व स्थिति को बहाल करना था और निर्णय और आदेश द्वारा कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान करना नहीं था।

ग

डी.

11. वर्तमान मामले में विभाग की ओर से गंभीर आपत्ति जताई गई है कि संबंधित उम्मीदवारों ने विभाग की स्पष्ट अनुमति के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कराया था और/या विभाग ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की गई इंजीनियरिंग में डिग्री को मान्यता नहीं दी थी या संबंधित उम्मीदवारों को ऐसे पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन अवकाश नहीं दिया गया था।यदि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों और मापदंडों का उल्लंघन करते हुए डिग्री प्राप्त की गई थी, तो मामला पूरी तरह से अलग रंग धारण करता है।इस न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश में जारी किए गए निर्देशों में कभी भी ऐसे लाभ प्रदान करने का निर्देश नहीं दिया गया जो उम्मीदवारों को निर्णय और स्पष्टीकरण आदेश पारित होने की तारीख को नहीं मिल रहे थे।यदि उम्मीदवारों द्वारा इस प्रकार प्राप्त डिग्री में गंभीर दुर्बलता थी, तो मामले को या तो प्रतिनिधित्व के माध्यम से या उस संबंध में उचित रूप से स्थापित चुनौती के माध्यम से हल

किया जाना चाहिए।यदि पदोन्नति नहीं दी गई थी और जिस दिन निर्णय पारित किया गया था, उस दिन का आनंद नहीं लिया जा रहा था, तो ए का कोई उल्लंघन नहीं था।

ई.

च

जी.

एच.

593

अशोक कुमार बनाम दीपेंद्र सिंह ढेसी [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

इस न्यायालय द्वारा जारी कोई भी निर्देश।जैसा कि स्पष्ट है, अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन ने कुछ स्थिति और लाभों को प्रदान करने का दावा किया जो उन्हें पहले नहीं मिल रहे थे।यदि उस मोर्चे पर कोई शिकायत है, तो अवमानना याचिका के अलावा अन्य कार्यवाहियों में पात्रता स्थापित करने की आवश्यकता है।

12. इसलिए श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा पारित निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करना पूरी तरह से उचित था

जे. एस. परिहार बनाम में यह न्यायालय। गणपत दुग्गर और अन्य 5:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. तब सवाल यह है कि क्या डिवीजन बेंच वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को दरकिनार करने में सही थी।अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस. के. जैन ने तर्क दिया है कि जब तक विद्वान न्यायाधीश तीन पीठों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में वरिष्ठता सूची तैयार करने में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की शुद्धता में नहीं जाता है, तब तक विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर या जानबूझकर अवज्ञा की थी या नहीं। इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से उस प्रश्न के गुण-दोष में जाना होगा।हम नहीं पाते कि विवाद अच्छी तरह से आधारित है।यह देखा गया है कि, निश्चित रूप से, उत्तरदाताओं ने 2-7-1991 को वरिष्ठता सूची तैयार की थी।इसके बाद पदोन्नति होने लगी।सवाल यह है कि क्या वरिष्ठता सूची अवमानना कार्यवाही में समीक्षा के लिए खुली है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह पिछली पीठों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है।यह देखा गया है कि एक बार जब अदालत द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है, तो एक उपयुक्त मंच में निवारण की मांग करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न होता है।वरिष्ठता सूची तैयार करना गलत हो सकता है या सही हो सकता है या निर्देशों के अनुरूप हो सकता है या नहीं भी।लेकिन यह पीड़ित पक्ष के लिए न्यायिक समीक्षा के अवसर का लाभ उठाने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण होगा।लेकिन इसे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।अवमानना कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा का पुनः प्रयोग करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने के लिए एक नया निर्देश नहीं दिया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, विद्वान न्यायाधीश गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था

ग

डी.

ई.

च

जी.

अवमानना कार्यवाही।अधिनियम की धारा 12 के तहत इसकी अनुमति नहीं होगी। इसलिए, डिवीजन बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश की धारा 18 के तहत एकल न्यायाधीश का निर्णय या आदेश होने के कारण शक्ति का प्रयोग किया है; डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई गलती को ठीक किया।इसलिए, राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि वह विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर करे, जब मामला पहले से ही खंड पीठ के पास था।"13. इसलिए, हम कथित समकालीनों की ओर से कोई उल्लंघन नहीं पाते हैं।

14. इन अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।प्रत्येक याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग में लागत के रूप में Rs.5000 जमा करेगा, जिसमें विफल रहने पर विभाग कानून के अनुसार उसी की वसूली करेगा।

ग

डी.

दिव्या पांडे

अवमानना याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

च

जी.

एच.